अनुबंध 2

अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधानों को बनाए रखने के लिए उदाहरण (सामान्य प्रावधानों के अतिरिक्त)

अवसंरचना परियोजनाएं	**गैर-अवसंरचना परियोजनाएं (सीआरई और सीआरई-आरएच सहित)**
उदाहरण 1 निधिक बकाया – ₹1000 करोड़ मूल डीसीसीओ – 01 जनवरी 2026 विस्तारित डीसीसीओ – 01 अप्रैल 2026 बनाए रखने योग्य विशिष्ट प्रावधानों की मात्रा – ₹3.750 करोड़	**उदाहरण 1** निधिक बकाया – ₹1000 करोड़ मूल डीसीसीओ – 01 जनवरी 2026 विस्तारित डीसीसीओ – 01 अप्रैल 2026 बनाए रखने योग्य विशिष्ट प्रावधानों की मात्रा – ₹5.625 करोड़
उदाहरण 2 निधिक बकाया – ₹1000 करोड़ मूल डीसीसीओ – 01 जनवरी 2026 विस्तारित डीसीसीओ – 01 अप्रैल 2027 बनाए रखने योग्य विशिष्ट प्रावधानों की मात्रा – ₹18.750 करोड़	**उदाहरण 2** निधिक बकाया – ₹1000 करोड़ मूल डीसीसीओ – 01 जनवरी 2026 विस्तारित डीसीसीओ – 01 अप्रैल 2027 बनाए रखने योग्य विशिष्ट प्रावधानों की मात्रा – ₹28.125 करोड़
उदाहरण 3 निधिक बकाया - ₹ 1000 करोड़ मूल डीसीसीओ - 01 जनवरी 2026 विस्तारित डीसीसीओ - 01 अप्रैल 2029 आस्ति वर्गीकरण - एनपीए बनाए रखने योग्य विशिष्ट प्रावधानों की मात्रा - ₹ 150 करोड़	**उदाहरण 3** निधिक बकाया - ₹ 1000 करोड़ मूल डीसीसीओ - 01 जनवरी 2026 विस्तारित डीसीसीओ - 01 अप्रैल 2028 आस्ति वर्गीकरण - एनपीए बनाए रखने योग्य विशिष्ट प्रावधानों की मात्रा - ₹ 150 करोड़